भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2915
उत्तर देने की तारीख-26/03/2025

विद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव

2915 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत पांच वर्षों के दौरान विद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या सरकार आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत भेदभाव विरोधी उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए जागरुकता कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और क्या सरकार ने उनकी प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्तपोषित स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गरीब वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के साथ भेदभाव से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विभिन्न प्रावधान हैं जो शिक्षा में भेदभाव को रोकते हैं। इनमें शामिल हैं: -

i. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 8(ग) और 9(ग) के अंतर्गत उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के साथ

भेदभाव न किया जाए और उन्हें किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने से न रोका जाए।

ii. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों के लिए केंद्रीय आरटीई नियम, 2010 के नियम 9(4) के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि धारा 8 के खंड (ग) और धारा 9 के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चे को कक्षा में, मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और शौचालय सुविधाओं के उपयोग में, और शौचालयों या कक्षाओं की सफाई में अलग नहीं किया जाएगा या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

iii. इसके अलावा, नियम 11(2) के तहत यह अनिवार्य है कि धारा 2 के खंड (ढ) के खंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार प्रवेश पाने वाले बच्चों के साथ पाठ्य पुस्तकों, वर्दी, पुस्तकालय और सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाओं, पाठ्येतर और खेल जैसी सुविधाओं और अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा।

आरटीई अधिनियम बच्चों के शारीरिक दंड या भेदभाव और उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण और जवाबदेही के लिए एक प्रणाली के निर्माण पर बल देता है।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफएसई), 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग और सामुदायिक मान्यताओं, दिव्यांगताओं या किसी अन्य कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है।

एनसीईआरटी ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मैनुअल तैयार किया है। मैनुअल में सामाजिक रूप से वंचित समूह, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से संबंधित भेदभाव और चिंताओं के मुद्दों का विवरण दिया गया है।

(ग): स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) के तहत, शिक्षकों को छात्रों के बीच भेदभाव से बचने के लिए सही शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाता है। निष्ठा प्रारंभिक कार्यक्रम में पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा तथा अधिकारों, बाल यौन शोषण और पोस्को अधिनियम की समझ सहित 18 पाठ्यक्रम शामिल हैं। ये पाठ्यक्रम शिक्षकों को समावेशी शिक्षा और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। निष्ठा प्राथमिक /माध्यमिक /एफएलएन /ईसीसीई के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा 'विद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव' के संबंध में दिनांक 26.03.2025 को पूछा जाने वाला राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2915 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

एनसीईआरटी द्वारा संचालित निष्ठा प्राथमिक /माध्यमिक /एफएलएन /ईसीसीई के अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षित शिक्षकों का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8275
आंध्र प्रदेश	157433
अरुणाचल प्रदेश	8970
असम	67556
बिहार	548221
चंडीगढ़	8635
छत्तीसगढ़	184009
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3963
दिल्ली	50281
गोवा	16392
गुजरात	236473
हरियाणा	104505
हिमाचल प्रदेश	37682
जम्मू और कश्मीर	195671
झारखंड	145321
कर्नाटक	338300
केरल	1255
लद्दाख	8584
लक्षद्वीप	678
मध्य प्रदेश	433987
महाराष्ट्र	202915
मणिपुर	22422
मेघालय	25604
मिजोरम	6509
नगालैंड	10894
ओडिशा	266018
पुदुचेरी	7297
पंजाब	53774
राजस्थान	471906
सिक्किम	8369
तमिलनाडु	2596
तेलंगाना	95707
त्रिपुरा	26897
उत्तर प्रदेश	757209
उत्तराखंड	54364
पश्चिम बंगाल	1709
कुल	**4570381**

स्रोत: एनसीईआरटी
